तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... जो कि... तामील...
24/5/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प बिसलाई में पेश हुई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद में स्थित ख0नं0 138 रकबा 1.39 हे0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि थी, दौरानें सेटलमेंट पूर्व रकबा 2.50 हे0 भूमि के स्थान पर रकबा 1.39 हे0 दर्ज किया गया। इस प्रकार 1.11 हे0 भूमि कम दर्ज की गई, जिसे दुरूस्त कर रकबा पूर्ति की जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात् से जाहिर आया कि वादीगण द्वारा अपनें वाद पत्र में कही पर भी यह नहीं दर्शाया है कि वादीगण के खातें से कम की गई भूमि किस ख0नं0 में बढाई गई है तथा उक्त कमी रकबे की पूर्ति किस ख0नं0 से की जावें। इस बाबत् वादीगण द्वारा न तो अपनें वाद पत्र में और न ही साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया गया है। वादीगण अपनें वादपत्र को साबित करने में असफल रहे है। जिससे कमी रकबे की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दीगोद

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट ......निसलाई......)

पीठासीन अधिकारी : ताराम्ती वैष्णव RAS

उनवान

......नन्दबिहारी वगै०...... बनाम ......राजस्थान सरकार......

दावा बाबत् ......88-89 RTA......

मुकदमा नम्बरः– ......108/11......

निर्णय दिनांकः– ......24/05/2012......

वादी की ओर से ....की व प्रतिवादी की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को ....(नाम पीठासीन अधिकारी) ताराम्ती वैष्णव RAS...... के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होनें पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि– ......वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।......

खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ......24/05/12......को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(ताराम्ती वैष्णव RAS)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर दीगोद

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत् इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत् इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत.	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

Scanned by CamScanner